



2026:AHC:57709

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3357/2026

तोहिद

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

गीतम सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया।
3. यह जमानत याचिका आवेदक तोहिद की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा संख्या 192/2023, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम की धारा 2/3 के तहत, पुलिस स्टेशन- कासगंज, जिला- कासगंज में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी-आवेदक और एफआईआर में नामित अन्य सह-आरोपी व्यक्ति एक गिरोह के सदस्य हैं और उन्होंने समाज के खिलाफ गंभीर अपराध किया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि उनका नाम एफआईआर में है, लेकिन उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें किसी गलत इरादे और पुलिसकर्मियों के साथ पुरानी दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि गिरोह चार्ट के अनुसार, आवेदक दो आपराधिक मामलों में संलिप्त बताया गया है जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उपर्युक्त दो मामलों के अलावा, आवेदक का आपराधिक इतिहास 21 मामलों का है, जिसमें वर्तमान मामला भी शामिल है, जिसका विवरण जमानत आवेदन के पैरा 4 और 5 तथा पूरक हलफनामे के पैरा 5 में दिया गया है। इसके अलावा, आवेदक किसी गिरोह का सरगना या सदस्य नहीं है। साथ ही, विद्वान अटॉर्नी जनरल के बयान के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। वह 22.03.2023 से यानी तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यह तर्क देते हुए आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है कि आवेदक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने का आदी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी और डरा-धमकाकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है:-

" (4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को, यदि वह हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि—
(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और
(ख) यदि लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

8. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य, गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति और आरोपी-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है।

9. **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के०ए० नजीब (2021) 3 एससीसी 713** में कई निर्णयों में यह माना गया कि संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के संरक्षण में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता बल्कि न्याय तक पहुंच और शीघ्र सुनवाई भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग **अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) 6 एससीसी 731** में यह माना गया कि विचाराधीन कैदियों को मुकदमे की प्रतीक्षा में अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणामों

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का सामना नहीं करना चाहिए जब तक कि यह किसी निष्पक्ष मध्यस्थ के समक्ष सिद्ध न हो जाए। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं के कारण, जहां एक प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करना और संभावित अपराधी को मुकदमे की प्रतीक्षा में रिहा किए जाने की स्थिति में समाज के लिए जोखिम को कम करना आवश्यक है, अदालतों को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे की प्रतीक्षा में रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर मुकदमा चलाना संभव नहीं होगा और आरोपी काफी समय तक कारावास में रह चुका है, तो अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होती हैं।

10. प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, विद्वान एजीए ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आपराधिक इतिहास के बारे में आरोपी-आवेदक द्वारा पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में 30.09.2023 को पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। अभियुक्त-आवेदक तीन साल से अधिक समय से जेल में है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश और सर्वोच्च न्यायालय के **दताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य, एस0एल0पी0 (क्रिमिनल) संख्या 5191/2021** के मामलों में दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार।

(iv) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

20 मार्च 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"